कार्यालय उपजिलाधिकारी महमूदाबाद जिला सीतापुर।

संख्याः– 176 / जांच / एस0टी0 / 2020–21 दिनांकः 04 फरवरी,2021

R
05/2/21

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी(सं0का0),
सीतापुर।

महोदय,

कृपया कार्यालय के पत्र संख्या–सत्ताइस–सी0एफ0–01 / 2021 / न्या0स0 / 80 दिनांक 29 जनवरी,2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो नवीन महाविद्यालय / संस्थान एस0के0बी0 एजूकेशन, बांसुरा, रामपुर मथुरा तहसील महमूदाबाद सीतापुर को पाठ्क्रम / विषय की स्थापना / संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पत्र में उल्लिखित 03 बिन्दुओं पर स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच कर बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त प्रकरण की जॉच तहसीलदार महमूदाबाद से करायी गयी। जांच आख्या संलग्न है। तहसीलदार महमूदाबाद द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या बिन्दुवार निम्नवत है–

1– ग्राम बांसुरा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर की वर्तमान खतौनी सन् 1424 फसली से 1429 फसली की खाता सं0 376 की गाटा 2071 क्षे0 1.076 हे0 पर अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव निवासी 35 पटेल नगर निकट सेक्टर 9 इन्दिरा नगर लखनऊ के नाम बैनामा के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खातेदार है। उक्त गाटा सं0 को सतगुरू प्रसाद केशव प्रसाद विष्णु सहाय एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट 35 पटेल नगर ए निकट सेक्टर 9 इन्दिरा नगर लखनऊ द्वारा ट्रस्टी / चेयरमैन किरन बाला श्रीवास्तव पत्नी ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव निवासी 35 पटेल नगर ए निकट सेक्टर 9 इन्दिरा नगर लखनऊ के पक्ष में मु0 12,000रूपये वार्षिक किरायेदारी के रूप में 30 वर्ष के लिए दिनांक 18.12.2020 से 17.12.2050 तक लीज पर दिया है। उक्त गाटा की स्थलीय जांच में पाया गया कि गाटा सं0 2071 / 1.076हे0 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर विद्यालय भवन निर्माणाधीन है। नजरी नक्शा संलग्न है।

2– गाटा सं0 2071 / 1.076 हे0 के पश्चिम बांसुरा से इटिया सम्पर्क मार्ग की चौ0 10मी0 है।

3– गाटा सं0 2071 / 1.076 हे0 भूमि तालाब, चारागाह व चकमार्ग पर स्थित नहीं है और भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। प्रस्तावित भूमि तालाब, चारागाह व चकरोड़ की नहीं है एवं उक्त पर महाविद्यालय द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

उपजिलाधिकारी,
महमूदाबाद।
4.2.21

J.A
5.2.21